(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना संख्या 58/2017 – केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सा.का.नि............(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि. संख्या 1144(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 30/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 11 सितम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल आवर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मासों के लिए अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-01 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाता है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	**वे मास, जिनके लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं**	**प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	जुलाई-अक्तूबर, 2017	31 दिसम्बर, 2017
2	नवम्बर, 2017	10 जनवरी, 2018
3	दिसम्बर, 2017	10 फरवरी, 2018
4	जनवरी, 2018	10 मार्च, 2018
5	फरवरी, 2018	10 अप्रैल, 2018
6	मार्च, 2018	10 मई, 2018

2. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक के मासों के लिए, अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का विस्तार राजपत्र में तत्पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार